# कार्यालय नगर परिषद सवाई माधोपुर–राज0

क्रमांकः–न.प.स.मा./स्टोर शाखा /2026–27 1875 दिनांकः–12/05/2026

**–:: ई निविदा सूचना 2026–27 ::–**

नगर परिषद सवाई माधोपुर में स्ट्रीट लाईट से संबंधित कार्य हेतु मुहरबन्द निविदायें सामग्री की आपूर्ति करने वाली फर्मो से वर्ष 2026–27 के लिए आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/संवेदक/व्यक्ति निश्चित तिथि 28/05/26...... को दोपहर 11.00 बजे सें वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जाकर दिनांक 08/06/26..... को सांय 6.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। ऑनलाईन निविदा की बिड दिनांक 09/06/26..... को सांय 4.00 बजे खोली जावेगी। उक्त निविदा www.sppp.raj.nic.in, www.eproc..rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

| क्र.स. | कार्य/सामग्री का नाम | अनुमानित लागत (लाखों में) | अमानता राशि 2 प्रतिशत | अमानता राशि 1/2 प्रतिशत | निविदा शुल्क | प्रोसेसिंग शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर परिषद क्षेत्र मे स्थापित सभी प्रकार व सभी वॉटेज की लाईटो एवं सीसीएमएस पैनल/टाईमर स्विच का संचालन, संधारण एवं रखरखाव लाईन/केबल फाल्ट सहित कार्य मय सामग्री। | 77.33 | 154656 | 38664 | 1000/- | 1500/- |

शर्ते :–

1. श्रीमान् सचिव वित्त (बजट) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र संख्या प.6 (5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 की अनुपालना में अमानता राशि, निविदा शुल्क एवं प्रकिया शुल्क फीस– (अकाउन्ट न0 50100061780483 आईएफएसरसी कोड–HDFC0001847) में NEFT के माध्यम से, नगर परिषद खाते में जमा किया जाना आवश्यक है एवं ऑनलाईन चालान/जमा की रसीद अपलोड करनी होगी। निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज जैसे– रजिस्ट्रेशन, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानता राशि जमा की रसीद, एव निविदा शर्तो के अनुरूप अन्य दस्तावेज सिर्फ ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाईन दस्तावेजो की ही जांच की जायेगी। भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज स्वीकार नही किया जायेगा। दस्तावेज किसी भी कारण से अपलोड नही होने पर संबंधित फर्म की वित्तिय बिड नही खोली जायेगी।
2. संवेदक को पैन कार्ड की प्रति, अमानता राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क की ऑनलाईन रसीद/नेफ्ट की रसीद, ब्लेक लिस्ट नही होने का शपथ पत्र एवं नॉन ब्लड रिलेशन का स्टाम्प अपलोड करना अनिवार्य है।
3. **विधुत निरीक्षक द्वारा जारी "A/B" क्लास डिजिटल लाइसेंस की प्रति**, विधुत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्वसरकारी कार्यालय में .EWSD-I श्रेणी में पंजीकृतप्रमाण पत्र।
4. कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952 में पंजीकृत प्रमाण पत्र।
5. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पंजीकृत प्रमाण पत्र।
6. निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते वेबसाईट *www.sppp.raj.nic.in,* एव *www.eproc..rajasthan.gov.in* देखी जा सकती है।
7. शशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगीं।
8. किसी कारण वश निविदा निश्चित दिनांक को ओपन नही हो पाती है तो आगामी दिवसों में निविदा खोली जायेगी।
9. GF&AR की शर्ते ठेके पर लागू होगी।
10. निविदा शर्तो में संशोधन एवं त्रुटि सुधार हेतु शुद्धि पत्र का प्रकाशन केवल *www.eproc..rajasthan.gov.in* पोर्टल पर ही किया जावेगा।

11. बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
12. पालिका के किसी भी अधिकारी/पार्षद/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नहीं होने बावत् 50 रूप्ये के नॉन--ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी दवारा प्रमाणित मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
13. नगर पालिका /परिषद/निगम /राज्य सरकार के किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्ट नहीं होने बावत् 50 रूप्ये के नॉन--ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी दवारा प्रमाणित मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
14. मेला उत्सव/विशेष आयोजन एवं निर्वाचन हेतु परिषद ठेका निकालने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
15. किसी विवाद का न्याय क्षेत्र मुख्यालय सवाई माधोपुर होगा।
16. शेष शर्ते RTPP Rule and RTPP ACT 2012-2013 के अनुसार शर्ते लागू रहेगी।
17. निविदाओ को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।
18. यदि निविदादाता नियमो का उल्लंघन करता है या अपात्र होता है तो बयाना राशि/प्रतिभूति राशि को नियमानुसार जब्त कर लिया जावेगा।
19. यदि निविदादाता द्वारा कार्य समय पर नही करने अथवा देरी से करने पर अमानता राशि जब्त कर ब्लेक लिस्ट की कार्यवाही की जायेगी।
20. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस में एक अनुबन्ध भरना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिये शेष धरोहर राशि नियमानुसार जमा करानी होगी। अनुबन्ध सम्पादन संतोषप्रद होने पर धरोहर राशि लौटा दी जावेगी। जिस पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा। स्टाम्प आदि व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
21. किसी भी प्रकार की हानि/टूट--फूट की जिम्मेदारी फर्म की होगी। किसी भी प्रकार की टूट फूट होने पर संवेदक द्वारा बदला जायेगा।
22. उक्त कार्य में सप्लाई सामग्री की वारन्टी न्यूनतम 1 साल की होगी। यदि अधिकृत कम्पनी के द्वारा संवेदक को एक साल से अधिक समय की वारन्टी दी जाती है तो दी गई अधिक समयावधि वाली वारन्टी मान्य होगी तथा वारन्टी सर्टिफिकेट सामान सप्लाई के दौरान निकाय में जमा कराना होगा।
23. संवेदक द्वारा सामग्री सप्लाई से पूर्व सामग्री के लिये अधिकृत कम्पनी का प्रमाणीकरण निकाय/इन्जिनियरिंग इन्चार्ज से करवाना होगा।
24. निविदा दाता द्वारा कोई भी जानकारी असत्य दिये जाने पर का कोई भी तथ्य छुपाए जाने पर उसकी अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
25. निविदादाता कार्य को अन्य किसी एजेन्सी सबलेट के लिये नही देगा और न ही उनसे करवायेगा।
26. निविदादाता द्वारा कार्य समय पर नही करने अथवा देरी से करने पर अमानता राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
27. संवेदक का कार्य संतोष जनक होने पर नियमानुसार कार्यअवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।
28. नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ, शारीरिक रूप से असक्षम, बाल श्रमिक कार्य पर नही लिया जावेगा। ऐसे श्रमिकों से कार्य करवाये जाने पर संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
29. लेबर एक्ट प्रावधानों की पूर्ण पालना करनी अनिवार्य होगी। न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। न्यायिक क्षेत्र संबंधित निकाय होगा।
30. उक्त कार्य में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसी तरह के कोई अंकेक्षण में रिकवरी निकाली जाती है, तो उक्त रिकवरी संवेदक को वहन करनी होगी।

31. अनुमानित संख्या कम ज्यादा की जा सकती है जिसका आनुपातिक भुगतान होगा।
32. अगर निकाय दिये गये कार्यआदेश के शेडयूल के आईटम या विवरण मे आवश्यकता नहीं होने/अपग्रेडशन की स्थिति में कार्यआदेश के आईटमों/ विवरण को कभी भी With-draw कर सकती है, जिसके लिए संवेदक कभी भी क्षतिपूर्ति राशि की मांग नही करेंगा।
33. समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निकाय अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा किये गये दिशा निर्देश/आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा संवेदक राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम/प्रावधानों को स्वीकार करने हेतु पाबन्द होगा।
34. वर्तमान में निकाय क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाईट/टाईमर को चालू करने में उपयोग में काम आने वाला सामान, अन्य उपकरण, संसाधन अनुबंधित ठेकेदार का ही होगा। नगरनिकाय द्वारा अलग से भुगतान देय नही होगा। वर्तमान में स्ट्रीट लाईट तन्त्र जिस स्थिति में है उसी स्थिति में स्थानांतरित किया जायेगा। संवेदक स्वयं मौके का निरीक्षण कर दरे भरी जानी सुनिश्चित करें।
35. खुले केबिल/वायर के जोईन्ट पर टेप लगाकर सुरक्षा की पुरी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी। ठेकेदार की लापरवाही से खुले तारों या किसी भी कारणवंश संवदेक के कर्मचारी/आम नागरिक/पशु आदि की करंट से दुर्घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
36. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक न होने पर निकाय प्रभारी /तकनिकी अभियन्ता द्वारा 3 नोटिस देने पर व प्राप्त जवाब संतोषजनक नही पाए जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा। उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्युरीटी) एवं जमा राशि निकाय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
37. यदि सफलतम निविदादाता/ठेकेदार कार्यादेश में निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण के वित्तीय अनुसूची/वित्तीय स्वीकृत दर पर कार्य करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने के अलावा शेष अवधि के लिए ठेकेदार के हर्जे खर्चे (Risk&Cost) पर नगरनिकाय कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
38. संवेदक द्वारा किये गये कार्य का तकनीकि विधुत अभियंता द्वारा प्रमाणिकरण करने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।
39. संवेदक का कार्य सन्तोंष जनक होने पर RTPP Rule and RTPP ACT 2012-2013 अके तहत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 50 प्रतिशत राशि और बढाई जा सकती है।

**प्रशासक**
**नगर परिषद सवाई माधोपुर**

आयुक्त
नगर परिषद सवाई माधोपुर

क्रमांक/न.प.स.मा./वि.शा./2024-25/ 1876-81
दिनांक : 12/05/2024

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ -
1. लेखाशाखा नगर परिषद सवाइ माधोपुर।
2. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत नगर परिषद सवाई माधोपुर।
3. नोटिस बोर्ड नगर परिषद शहर/मानटाउन सवाई माधोपुर।
4. निजी पत्रावली।

आयुक्त
नगर परिषद सवाई माधोपुर

**प्रशासक**
**नगर परिषद सवाई माधोपुर**

# कार्यालय नगर परिषद सवाई माधोपुर—राज0

## —::स्ट्रीट लाईट संचालन एवं संधारण की विशिष्ट शर्तें::—

**SCOPE OF WORK :-**

| | |
|---|---|
| ज्वाईट सर्वे | 1. संवेदक को कार्य शुरूआत के 60 दिवस में निकाय प्रतिनिधी के साथ हर सर्किट/वार्ड वाईज में कितने वॉट की कितनी लाईटे है लाईटों का सर्वेकर सूची मय पूर्णपते के तैयार करनी होगी। यदि निकाय में पूर्व में ही कोई सूची है तो उसे वास्तविक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अपडेट करनी होगी। कार्यादेश प्राप्ति के तुरंत पश्चात सर्वे कर संवेदक को कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जिसका निकाय क्षेत्र में लगी समस्त स्ट्रीट लाईटों, हाईमस्ट, टाईमर इत्यादि का विवरण होगा। जिन रोड लाईटों पर फेजवायर नही है उनकी सूची मय पूर्ण पते के अलग से निकाय में प्रस्तुत करनी होगी।<br>2. संवेदक को नगर निकाय क्षेत्र में लगी समस्त लाईटें जैसे मुख्य सडक मार्गो पर डिवाईडर लाईटे हाईमास्क लाईटे, वार्डो में स्ट्रीट लाईटे, गार्डनों में विभिन्न कार्यालयों आदि का रख—रखाव करना होगा। उक्त लाईटों को सर्वे में संलग्न करना होगा। |
| सर्विस लाईन संधारण | 3. उक्त कार्य करने के लिए विधुत लाईन/लाईटों में बाधा बनने वाली पेड की टहनियों को कटवाने की जिम्मेदारी संवदेक की होगी।<br>4. संवेदक को केबल फाल्ट और वार्डो में लगी लाईटो के फॉल्ट, लाईनों के फॉल्ट, जम्पर को आवश्कतानुसार सामान लगाकर सही करना होगा।<br>5. संवेदक को रोड लाईट फेजवायर व PVC Wire टुटने/केबल खराब होने पर पुनः उसी कम्पनी/साइज का लगाना होगा।<br>6. पोल/CCMS/टाईमर/मीटर में केबल खराब होने पर उसी साईज/कम्पनी की संवेदक को लगानी होगी इसका संवेदक को कोई भी भुगतान अलग से नही किया जायेगा। |
| स्ट्रीट लाईट संधारण | 7. संवेदक को हाईमास्ट लाईटों को उतारने/चढवाने का कार्य करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।<br>8. संवेदक यथास्थिति लाईटों को चालू/सुचारू संचालन करना होगा। संवेदक की कोई शर्तमान्य नही होगी।<br>9. यदि विधुत विभाग द्वारा पोल बदला जाता है। तो विधुत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पुनः उसी लाईट, क्लेम्प लगाकर चालू करनी होगी। जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।<br>10. संवेदक को आवश्यक उपकरण Lifter, पर्याप्त लम्बाई की सीढी, सेफ्टी दस्ताने, सेफ्टी हेलमेट तथा सेफ्टी शूज आदि समस्त उपकरण संसाधन संवेदक के होगें।<br>11. संवेदक को खराब/टूटने पर रोड लाईट फेज वायर/पिंन, साईकिल ईन्सुलेटर, क्रॉसआर्म अपने खर्चे पर बदलने होगें।<br>12. नगर निकाय द्वारा भविष्य में यदि अनुबंध अवधी में नई लाईट लगाई जाती है। तो संवेदक को उन लाईटों का रख—रखाव संवेदक को स्वीकृत दर पर करना होगा।<br>13. सायंकाल स्ट्रीट लाईट ऑन होने के बाद चैक करना व बन्द लाईन को चालू करना रात्रि 10.00 बजे तक। |

| | |
|---|---|
| | 14. संवेदक को स्ट्रीट लाईटों व CCMS/timer के रख–रखाव हेतु समस्त सामग्री कार्यादेश प्राप्ति के 1 माह में संवेदक को लगानी होगी तथा सम्पूर्ण लाईट व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करना होगा। पहले एक माह में किसी तरह की कोई पलेंटी नही लगाई जायेगी।<br>15. संवेदक को निविदा भरने से पूर्व सभी स्ट्रीट लाईट, CCMS, केबल, टाईमर / CCMS आदि स्ट्रीट लाईटों से सम्बन्धित समस्त उपकरण / लाईटों की भौतिक स्थिति जानकर ही निविदा भरें। वर्तमान में जिस स्थिति में लाईटों / CCMS / पोल है उसी स्थिति में आपकों हस्तान्तरित होगे साथ ही संवेदक को अपने खर्चें पर निर्देशानुसार लाईट व्यवस्था के द्वारा सिस्टम को सुव्यवस्थित करना होगा।<br>16. संवेदक को अपने स्टोर में लाईटों के / टाईमर के रख–रखाव का 5% सामान स्टॉक में रखना होगा।<br>17. स्टोर में पहले से रखी हुई तथा वार्डो से उतारी गई सभी खराब लाईटो में ड्राईवर, पैनल व ग्लास कवर लगाकर चालू कर कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत द्वारा बताये गये स्थानो पर लगाया जायेगा।<br>18. नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत लगी सम्पूर्ण लाईटे, रोड लाईट फेज वायर से जुडी होनी चाहिए। यदि कोई लाईट डायरेक्ट जल रही हो तो उनकी सूची नगर परिषद लाईट प्रभारी / कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत से प्रमाणीकरण करावे। फेज वायर उपलब्ध करवाने के पश्चात् भी यदि लाईट डायरेक्ट जलती पाई गई तो संवेदक के बिल से 50 रूपये प्रतिदिन शास्ति लगाई जायेगी। लाईट किसी भी स्थिति में डायरेक्ट नही जले इसकी सुनिश्चितता की जायेगी।<br>19. संवेदक को परिषद क्षेत्र की 11 केवी लाईन फाल्ट तथा अन्य किसी प्रकार के फाल्ट होने वाली क्षतिग्रस्त लाईटो को बदलना होगा। जिसके लिये अलग से भुगतान देय नही होगा।<br>20. यदि स्ट्रीट लाईटो के विद्युत मीटर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जेवीएनएल से सम्पर्क कर समस्या का निवारण संवेदक को ही करना होगा। |
| सीसीएमएस / टाईमर संधारण | 21. संवेदक को सभी सीसीएमएस पैनल्स कीजीपीएस लोकेशन व वार्ड संख्या सहित सम्पूर्ण पते के साथ निकाय कार्यालय मे प्रस्तुत करनी होगी।<br>22. संवेदक को फ्यूज / एमसीबी बॉक्स / टाईमर के ढक्कन / कवर / एम.सी.बी. / वायर आवश्यकतानुसार लगाना होगा।<br>23. संवेदक को नगर निकाय द्वारा बताए गए टाइमर बाक्स / टाईमर को शिफ्ट करना होगा। टाइमर बाक्स / CCMSके आस–पास आ रही झाडियों को संवेदक को अपने स्तर पर कटवानी होगी।<br>24. अगर नगरिय निकाय स्ट्रीट लाईटों के चालू बन्द होने के समय परिवर्तन करने हेतु निर्देशित करता हैं तो 2 दिवस में सभी स्ट्रीट लाईटों का समय परिवर्तन करना होगा। अन्यथा उपयुक्त पलेन्टी लगा कर बिलों का भुगतान किया जायेगा।<br>25. सीसीएमएस पैनलों को आवश्यकतानुसार सूचारू बनाये जाने हेतु संवेदक को उर्जा मीटर (3 फेस तथा सिंगल फेस), लैचरिले, RTU Card, पॉवर कंट्रोलर, टूटे कवर, लॉक रोटरी स्विच, मैन स्विच एमसीबी, कनेक्टर, कॉनटैक्टर, टाईमर, आरएलसी / पीएलसी, वायरिंग आदि स्वयं के स्तर पर लगाने होगें।<br>26. संवेदक को तकनीकी विधुत अभियंताओ के निर्देशानुसार सीसीएमएस पैनल को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करना, नया लगाना अथवा हटाना होगा।<br>27. यदि किसी कारणवंश CCMS/Timer जल जाता है तो आवश्यक उपकरण लगाकर CCMS/ Timer को चालू स्थिति में करना होगा।<br>28. संवेदक को सीसीएमएस के पार्ट्स चोरी / टुट–फुट / क्षतिग्रस्त होने पर एफआईआर दर्ज कराने की, इंन्योरेन्स की व दुरूस्तीकरण की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।<br>29. संवेदक को सीसीएमएस पेनल के समय का निर्धारण (ऑन / ऑफ) ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन को देखते हुए संबंधित तकनीकी अभियंताओं के निर्देशानुसार बदलना होगा। |
| विधुत मीटर संधारण | 30. संवेदक को डिस्कॉम के मीटर से सम्बन्धित कार्य किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जैसे--मीटर में फेज नही आना, मीटर जल जाना, मीटर की केबल खराब होना आदि को ठीक करने की कार्यवाही सम्बन्धित विधुत विभाग कम्पनी से समन्वय स्थापित करना होगा। |

| | |
|---|---|
| | 31. सप्लाई में समस्या होने पर संवेदक को डिस्कॉम से सम्पर्क कर समस्या का निस्तारण करना होगा।<br>32. संवेदक को स्ट्रीट लाईटों के लगे विधुत मीटर की रिडिंग लाने के लिए यदि नगर निकाय द्वारा बताया जाता है तो संवेदक को बताए गए मीटर की रिडिंग नगर निकाय में प्रस्तुत करनी होगी। |
| कन्ट्रोल रूम | 33. स्ट्रीट लाईटों व CCMS के रख–रखाव हेतु संवेदक को एक प्रशिक्षित कम्पयूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर और प्रिन्टर लगाना होगा। जो शिकायत दर्ज/शिकायत निवारण से संबंधित कार्य करेगा<br>34. स्ट्रीट लाईटों की शिकायते नगर निकाय स्ट्रीट लाईट पोर्टल पर दर्ज एवं निस्तारण करने हेतु संवेदक को नगर निकाय में सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक कम्प्युटर मय ऑपरेटर मय नेट के साथ कर्मचारी लगाना होगा।<br>35. प्रतिदिन दी गई शिकायतों का निस्तारण कर अगलेदिन 10.00 बजे निकाय कार्यालय में सूचना देना आवश्यक होगा। |
| अन्य कार्य | 36. नगर निकाय के पोल गिरने/टुटे जान पर पोल Dismantle करके नगर निकाय के आदेश पर निकाय द्वारा बताए गए स्थान पर रखनाहोगा।<br>37. निकाय के पोलो पर यदि कोई Dish, Wire, Cable एवं अन्य वायर हों तो नगर निकाय यदि हटाने को आदेशित करती है तो संवेदक को उन्हे हटाना होगा, जिसके लिए अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।<br>38. यदि नगर निकाय द्वारा लाईटें क्रय करके संवेदक को नगर निकाय द्वारा बताए गए स्थानों पर लाईट लगाने हेतु आदेशित करता है तो संवेदक को नगर निकाय के विधुत स्टोर से लाईट/क्लेम्प लेकर बताये गए स्थान पर लाईट/क्लेम्प लगाकर चालू करना होगा जिसका अलग से भुगतान नही किया जाएगा। |
| हैण्डओवर –टेकनओवर | 39. कार्य पूर्ण होने पर निकाय प्रतिनिधी के साथ सर्वे कर संवेदक को आगामी संवेदक के साथ जो ईट सर्वे कर समस्त सिस्टम को चालू अवस्था में समान संख्या में व हेन्ड ओवर करना होगा।<br>40. संवेदक को कार्य शुरू करने से पूर्व जिस अवस्था में लाईट, सीसीएमएस, फेजवायर, केबल इत्यादि निकाय में मौजूद है उसी अवस्था में संवेदक को संचालन एवं संधारण हेतु हैण्ड ओवर लेना होगा तथा संधारण कार्य समाप्ति पर संवेदक को सम्पूर्ण सिस्टम निकाय को चालू अवस्था में हैण्डओवर करना होगा।<br>41. यदि कोई स्ट्रीट लाईट चोरी/गायब हो जाती है तो संवेदक को उसकी एफआईआर कराकर निकाय में प्रस्तुत करनी होगी। एफआईआर नही कराने की स्थिति में/स्ट्रीट लाईट के टूटने/किसी भी प्रकार से लाईट क्षतिग्रस्त होने पर संवेदक को पुनः 7 दिन मे स्वंय के व्यय से स्ट्रीट लाईट को लगानी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा। |
| शास्ति | 42. संवेदक द्वारा प्रतिदिन प्रातः 10 बजे कन्ट्रोल रूम में उपस्थित होकर शिकायत प्राप्त करनी होगी। शिकायत प्राप्ति से 48 घण्टे में लाईटें चालू नही होने पर जिस दिन से शिकायत प्राप्त हुई हैं उस दिन से 50 रूपये/प्वाइंट/दिन के हिसाब से शास्ति आरोपित होगी।<br>43. सीसीएमएस में तकनीकी खराबी (सीसीएमएस जले होने/वायरींग डंग से नही होने/एमसीबी चेंज ओवर इत्यादि संबंधित खराबी) होने पर 24 घण्टे में सीसीएमएस को सही कराना होगा। सही नही करने पर जिस दिन से सीसीएमएस खराब हुआ हैं। उस दिवस से रू. 500/प्रतिदिन/प्रति सीसीएमएस आरोपित होगी।<br>44. बन्द सर्किट को 24 घंटे में चालू कर ना होगा अन्यथा रू. 500 प्रति सर्किट प्रतिदिन की शास्ति आरोपित होगी। |

नोट– उपरोक्त सभी स्ट्रीट लाईट संचालन एवं संधारण की विशिष्ट शर्ते तथा निविदा शर्ते मेरे द्वारा भली भांती पूर्णरूप से पढ़/समझ ली गई है मुझे सभी शर्ते मान्य है।

सहायक अभियन्ता(विद्युत)
नगर परिषद सवाई माधोपुर

लेखाधिकारी
नगर परिषद सवाई माधोपुर

आयुक्त
नगर परिषद सवाई माधोपुर

प्रशासक
नगर परिषद सवाई माधोपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर